



सत्यमेव जयते



अध्यक्ष
CHAIRMAN

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद
ATOMIC ENERGY REGULATORY BOARD

No. AERB/NPSD/SHK/CN/SR/663310/2025/00401

May 03, 2025

विषय: माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के स्थल चयन हेतु सहमति
(एमबीआरएपीपी - 1 से 4)

संदर्भ

- [1] दिनांक 2 जनवरी, 2024 के आवेदन संख्या एनपीसीआईएल/पीडी/(नई परियोजनाएं)/2024/एम/02 के माध्यम से एमबीआरएपीपी - 1 से 4 हेतु स्थल सहमति के लिए आवेदन।
- [2] एनपीपी और अन्य एनएफ स्थलों के स्थल मूल्यांकन के लिए संरक्षा समीक्षा योजना [दिनांक 11 अप्रैल, 2019 के ईईआरबी/एनपीएसडी/एलआरबी/सीएन/एसआर/992014/2019/00250]
- [3] एमबीआरएपीपी - 1 से 4 के लिए एनपीसीआईएल का स्थल सहमति आवेदन: 09 सितंबर, 2024 को आयोजित ईईआरबी बोर्ड बैठक संख्या 149 में विचार-विमर्श के अंश [दिनांक 11 सितंबर, 2024 के ईईआरबी/एसईसी/149बीएम/2024/420]

सहमति संख्या	MBRAPP-1to4/ST/0/08052025
सहमति का चरण	स्थल सहमति
आवेदक	भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनपीसीआईएल) परियोजना निदेशक (नई परियोजनाएं), (सीएमडी, एनपीसीआईएल द्वारा अधिकृत), ने माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना स्थल पर 700 मेगावाट पीएचडब्ल्यूआर (एमबीआरएपीपी - 1 से 4) की चार इकाइयों की स्थापना हेतु सहमति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया [संदर्भ 1]।
परमाणु ऊर्जा परियोजना का संक्षिप्त विवरण	नाम: MBRAPP-1 to 4 रिएक्टर का प्रकार: 700 MWe दबित भारी पानी रिएक्टर आधारित नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र (GHAVP 1 और 2 का पुनरावृत्ति रचना) स्थित : एमबीआरएपीपी साइट, पी.ओ. - नापला, तहसील - छोटी सरवन, जिला - बांसवाड़ा, राज्य - राजस्थान, पिन - 327001



225



	स्थिति : एमबीआरएपीपी साइट, पी.ओ. - नापला, तहसील - छोटी सरवन, जिला - बांसवाड़ा, राज्य - राजस्थान, पिन – 327001 नई साइट या मौजूदा साइट: नई साइट परियोजना/साइट की वर्तमान स्थिति संक्षेप में: स्थल सहमति चरण तक की जांच और विश्लेषण पूरी हो गई है। अगले सहमति चरण की आवश्यक जांच और रिपोर्ट तैयार करने का काम प्रगति पर है।
सहमति जारी करने का आधार	ईआरबी कोड/गाइड, ईआरबी/एससी/जी (नाभिकीय और विकिरण सुविधाओं का नियमन), ईआरबी/एनपीपी और आरआर/एसजी/जी-1 (एनपीपी के लिए सहमति प्रक्रिया) और ईआरबी/एनएफ/एससी/एस (संशोधन-1) (नाभिकीय फैसिलिटियों का साइट मूल्यांकन), ईआरबी/एनपीपी-पीएचडब्ल्यूआर/एससी/डी (संशोधन-1) (पीएचडब्ल्यूआर आधारित एनपीपी का डिजाइन), ईआरबी/एनपीपी/एससी/क्यूए (संशोधन-1) (नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में गुणवत्ता आश्वासन), ईआरबी/ एनआरएफ/ एससी/एनआरई (नाभिकीय और रेडियोलॉजिकल आपात स्थितियों का प्रबंधन) और अन्य प्रासंगिक संरक्षा गाइड के अनुसार नियामक आवश्यकता, जैसा कि स्थल चयन के सहमति के लिए लागू है। साइट मूल्यांकन के लिए समीक्षा योजना का संतोषजनक अनुपालन [संदर्भ 2]। ईआरबी बोर्ड की सिफारिशों का अनुपालन [संदर्भ 3]
नियामक समीक्षा	एनपीएसडी समीक्षा समूहों द्वारा समीक्षा के बाद बहु-स्तरीय समीक्षा की गई, जैसे: नाभिकीय सुविधाओं के लिए साइट मूल्यांकन समिति (एसईसी-एनएफ) द्वारा पहली स्तरीय संरक्षा समीक्षा की गई और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की परियोजना संरक्षा समीक्षा के लिए सलाहकार समिति (एसीपीएसआर-एनपीपी) द्वारा दूसरी स्तरीय समीक्षा की गई। उपर्युक्त संतोषजनक समीक्षाओं के बाद, ईआरबी के बोर्ड द्वारा अंतिम तीसरी स्तरीय समीक्षा की गई।
संरक्षा के लिए जिम्मेदारी	सुविधाओं या गतिविधि की संरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी सहमति प्राप्त करने वाले की है। विनियमों में निर्दिष्ट संरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन करना सहमति प्राप्त करने वाले की जिम्मेदारी है।
अन्य वैधानिक आवश्यकताएं	आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी आवश्यक वैधानिक मंजूरी प्राप्त कर ली गई है और सहमति के वर्तमान चरण यानी स्थल सहमति के लिए वैध है।
ईआरबी की शर्तें और नियम	प्रभावी नियामक नियंत्रण को सक्षम करने हेतु स्थल सहमति के लिए ईआरबी की नियम और शर्तें अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न हैं।

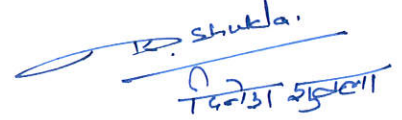
ऊपर उल्लिखित संतोषजनक समीक्षा के आधार पर, अनुबंध-1 में निर्दिष्ट शर्तों और प्रावधानों के संतोषजनक अनुपालन के अधीन, एमबीआरएपीपी - 1 से 4 की स्थल सहमति के लिए सहमति प्रदान की जाती है। शर्तों और

परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद
Atomic Energy Regulatory Board

प्रावधानों के किसी भी गैर-अनुपालन के लिए सहमति की पुनः समीक्षा की जाएगी। सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना सहमति हस्तांतरणीय नहीं होगी।

यह सहमति, सहमति जारी होने की तिथि से पांच वर्ष के लिए, अर्थात् 07 मई, 2030 तक वैध है।

संलग्नक : अनुलग्नक - 1


(दिनेश कुमार शुक्ला)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
नाभिकीय ऊर्जा भवन (एनयूबी) अणुशक्ति नगर
मुंबई - 400 094.

दिनेश कुमार शुक्ला/Dinesh Kumar Shukla
अध्यक्ष / Chairman
परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद
Atomic Energy Regulatory Board

प्रति :

आईआरबी

अध्यक्ष (कार्यालय)
कार्यकारी निदेशक
निदेशक, डीआरए एवं ईआर
प्रमुख, एनपीएसडी
प्रमुख, ओपीएसडी
प्रमुख, एनएसएडी
प्रमुख, डीआरआई
प्रमुख, डीआरपी एवं ई
प्रमुख, आईआईटी&आरडीडी
प्रमुख, एसएसईएस, एनपीएसडी
प्रमुख, पीएचडब्ल्यूआर-पीएस, एनपीएसडी

एनपीसीआईएल

निदेशक (टी)
निदेशक (पी)
निदेशक (ओ)
एडी (डीसी, आरआई और ओईएस)

आईआरबी समितियां

अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव, एसीपीएसआर-एनपीपी
अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव, एसईसी-एनएफ
अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव, पीडीएससी-एचडब्ल्यूआर
अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव, सीईएससी
अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव, सीआरएसए

एमबीआरएपीपी-1 से 4 साइट

प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एमबीआरएपीपी - 1 से 4



स्थल सहमति सहमति के दौरान आईआरबी की अनुबंध एवं शर्तें

- S.1 यह स्थल सहमति केवल सहमतिकर्ता द्वारा संबंधित सक्षम प्राधिकारी से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही मान्य होगी तथा इसमें निर्धारित शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।
- S.2 सहमति प्राप्त कर्ता नियामक आवश्यकता के अनुसार, प्रतिबद्ध समय-सीमा का पालन करते हुए, अपवर्जन जोन क्षेत्र पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करेगा तथा अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- S.3 संशोधन, जो अपवर्जन क्षेत्र सीमा के साइट या स्थान में साइट मापदंडों को प्रभावित करते हैं, आईआरबी की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किए जाएंगे।
- S.4 आईआरबी/एनपीपीएंडआरआर/एसजी/जी-1 विभिन्न सहमति चरणों में प्रस्तुत करने तथा समीक्षा करने के लिए सूचना प्रस्तुत करता है। बहु-स्तरीय समीक्षा के दौरान आईआरबी द्वारा की गई समीक्षा अनुशंसाओं/टिप्पणियों का एनपीसीआईएल द्वारा उचित रूप से पालन या समाधान किया जाएगा तथा इसके अनुपालन की स्थिति आईआरबी को आगामी सहमति चरणों के लिए प्रस्तुतियों के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।
- S.5 सहमति प्राप्तकर्ता गुणवत्ता आश्वासन पर आईआरबी कोड (आईआरबी/एनपीपी/एससी/क्यूए) की अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम को क्रियान्वित करेगा तथा इस संबंध में आईआरबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य अपेक्षाओं को भी पूरा करेगा।
- S.6 सहमति, परमाणु ऊर्जा अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों में दिए गए कारणों से, अधिनियम में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार, निरस्तीकरण, निलंबन, संशोधन या संशोधन के अधीन होगी।
- S.7 सहमति की शर्तों और प्रावधानों को संरक्षा के हित में आईआरबी द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधित, पुनरीक्षित या परिवर्तित किया जा सकता है।
- S.8 सभी संरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण परिवर्तन/अवलोकन महत्वपूर्ण घटना/परिवर्तन रिपोर्टिंग मानदंड (एसईसीआरसी) के अनुसार आईआरबी को सक्रिय रूप से रिपोर्ट किए जाएंगे।
- S.9 आवेदक यह सुनिश्चित करेगा कि सभी आवश्यक वैधानिक मंजूरी प्राप्त कर ली गई है और सहमति के वर्तमान चरण यानी स्थल सहमति के लिए वैध हैं।

- S.10 सहमति प्राप्तकर्ता राज्य और स्थानीय सरकारों के साथ पर्याप्त इंटरफेस सहित अपनी आपातकालीन तैयारी योजना के विकास, आवधिक संशोधन और कार्यान्वयन के लिए प्रावधान करेगा।
- S.11 यदि आवेदन में की गई कोई घोषणा या दी गई जानकारी झूठी पाई जाती है या यदि ऐसे आवेदन में दिए गए किसी वचन को पूरा नहीं किया जाता है, तो यह सहमति निलंबित या रद्द कर दी जाएगी।
- S.12 आवेदन में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए कोई गतिविधि या संचालन नहीं किया जाएगा।
- S.13 आईआरबी के किसी भी अधिकृत प्रतिनिधि को सुविधाओं/गतिविधियों तक पूर्ण पहुंच प्रदान की जाएगी।
- S.14 सहमति प्राप्तकर्ता ऐसे अधिकृत व्यक्तियों को नियुक्त करेगा जो सहमति के तहत कार्य करने के लिए योग्य हैं।
- S.15 सहमति प्राप्तकर्ता साइट पर उपयुक्त पहुँच प्रतिबंध और/या बाड़ लगाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि इनका उचित रखरखाव किया जाता है। सहमति प्राप्तकर्ता ऐसे कदम उठाएगा जो अनधिकृत व्यक्तियों को साइट या उसके किसी हिस्से में प्रवेश करने से रोकने के लिए आवश्यक हो सकते हैं, जैसा कि आईआरबी निर्धारित कर सकता है।

